

9

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर०ए०एस० अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 41/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 8.2.2023
अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

बाबूलाल आ० हीरालाल मीणा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा-राज०।

...अपीलार्थी

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा-राज०।

... रेस्पोंडेंट



सुपरिथत : श्री तेजमल जैन अभिभाषक-अपीलार्थी
पैरोकार सरकार अभिभाषक-रेस्पोंडेंट

::निर्णय::

दिनांक 18.6.2024.

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट उनवान बाबूलाल बनाम राज० सरकार जरिये तह० पीपल्दा जिला कोटा में पारित निर्णय दिनांक 24.8.2022 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा ग्राम प्रेमपुरा की ख० नं० 52, 63, 780 की कुल 3.98 है० भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 50 गुणा शास्ति तथा आराजी से बेदखल कर 3 माह की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। तहसीलदार पीपल्दा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.2.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 24.8.2022 से खारिज की गई जिसकी अप्रसन्नता से द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय कि पेश की गई कि अपीलांट के पूर्वजों के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही चली थी जिसमें निर्णय दिनांक 23.4.75 से सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.8.81 एवं 24.8.81 की पालना में प्रकरण रीओपन किया गया और अपीलांट की 342.55 स्टे० एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने की आज्ञा दी गई। जिसके विरुद्ध अपीलांट के पूर्वजों द्वारा अपील करने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 2.1.89 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये केवल मात्र 41.80 स्टे० एकड़ भूमि अधिग्रहण योग्य मानी जिसके विरुद्ध राज्य सरकार के यहा कार्यवाही की राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 16.7.1992 को पुनः निर्णय प्रदान करते हुये अपने स्वयं के आदेश दिनांक 18.8.81 एवं 24.8.81 को निरस्त करते हुये तथा उक्त आदेशों की अनुपालना में पारित हुए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये उपजिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 23.4.75 को बहाल रखा अर्थात् अपीलार्थी के पूर्वजों की कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं मानी। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के आदेशानुसार अपीलार्थी के पूर्वजों की तहसीलदार पीपल्दा ने ग्राम प्रेमपुरा की कुल 7 किता की 195 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दी। प्रस्तुत मामले में जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया है वह उक्त भूमि में से ही है। वास्तव में अपीलार्थी के पूर्वजों के खाते की कोई भूमि सीलिंग में अधिग्रहण योग्य नहीं है उपजिलाधीश कोटा ने सीलिंग कार्यवाही ड्राप की तथा उसके पश्चात

अति. सं. आयुक्त

- अन्तिम रूप से भी राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 16.7.92 से कार्यवाही समाप्त की है। अधिग्रहित भूमि वापस अपीलार्थी के खाते दर्ज करने की कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के यहां सन् 1992 से ही विचाराधीन चल रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपने पूर्वजों की खातेदारी की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण समय बद्ध सीमा में पूर्ण जांच कर अपीलार्थी को न्यायोचित सहायता प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया जावे।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो0 पैरोकार सुनी गई।
 - 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के खाते की भूमि है जिसे सीलिंग में अधिग्रहण योग्य नहीं माना है। उपजिलाधीश कोटा ने सीलिंग कार्यवाही झाप की तथा उसके पश्चात अन्तिम रूप से भी राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 16.7.92 से कार्यवाही समाप्त की है। अधिग्रहित भूमि वापस अपीलार्थी के खाते दर्ज करने की कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के यहां सन् 1992 से ही विचाराधीन चल रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपने पूर्वजों की खातेदारी की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
 - 4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग में अधिग्रहित आराजी है जो वर्तमान में राजकीय सिवायचक्र खाता सरकार दर्ज है। अपीलांत का उस पर अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
 - 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग में अधिग्रहित आराजी है जो वर्तमान में राजकीय सिवायचक्र खाता सरकार दर्ज है। अपीलांत का उस पर अतिक्रमण है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 24.8.2022 से रिकार्ड में अपीलांत को पूर्व में इस भूमि से बेदखल करने की बेदखली फर्द संलग्न नहीं होने एवं अपीलांत के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में नहीं होने से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा को स्थगित करते हुए शेष आदेश यथावत रखा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।
 - 6 निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा